न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारीः— रामदेव सिंह, आर0 ए0 एस0)

पील संख्या :— 01/2012 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

नवान :— 1. लालाराम पुत्र जीवनराम जाति यादव
2. सन्तलाल पुत्र जीवनराम जाति यादव निवासीयान ग्राम दौलतसिंहपुरा तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:—— अपीलांट

बनाम

1. श्योराम पुत्र हरदेव जाति यादव
2. मोहरसिंह पुत्र श्रीराम जाति यादव (मृतक)
2/1. चंचल पुत्र मोहरसिंह
2/2. लाली स्त्री मोहरसिंह निवासीयान ग्राम दौलतसिंहपुरा तह0 बहरोड जिला अलवर ।
2/3. रमेश पुत्री मोहरसिंह पत्नि बाबूलाल जाति यादव
2/4. माया पुत्री मोहरसिंह पत्नि लालाराम जाति यादव निवासीयान ग्राम गूंती तहसील बहरोड जिला अलवर ।
3. कैलाश पुत्र श्रीराम जाति यादव
4. धर्मपाल पुत्र श्रीराम जाति यादव
5. बलवन्त दत्तक पुत्र श्योताज जाति यादव निवासीयान ग्राम दौलतसिंहपुरा तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:—— रेस्पो0

6. तहसीलदार बहरोड बहैसियत लैण्ड होल्डर

:— फोरमल रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर, बहरोड दिनांक 01.08.2011

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांटस :— श्री गोविन्दराम यादव
2. वकील रेस्पो0 :— श्री अजीतसिंह यादव

निर्णय

दिनांक 2.6.2016

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/10 उनवान लालाराम वगैरह बनाम श्योराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.8.2011 के विरूद्ध है, जिसके द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 165 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 619 रकबा 27 एयर है, वाके ग्राम दौलतसिंहपुरा तहसील बहरोड विवादित है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान के हैं । विवादित साबिक खसरा नम्बर 165 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा के खातेदार हरदेवसिंह पुत्र खूबराम थे । पक्षकारान की सभी आराजीयात के साथ साथ विवादित भूमि का भी आपसी बंटवारा हो चुका है । विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 165 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा में से 27 एयर भूमि वादीगण के कब्जे में आई थी, जिसका हाल नम्बर 619 बनाया गया है । शेष हाल खसरा नम्बर 616, 617, 618 प्रतिवादीगण के कब्जे में आये थे । भू बंदोबस्त सम्वत 2042 में अधिकारीगण के समक्ष मौके पर विभाजन, कब्जा, अधिकार की स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी, जिसके बावजूद भी राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 619 रकबा 27 एयर पर रामकुंवार, श्योराम, श्रीराम पिसरान हरदेव समभाग 1/2, श्योताजसिंह पुत्र मामनसिंह 1/4, लाला, बसन्ती पिसरान जीवनराम 1/4 अहीर साकिन देह खातेदार का अंकन कर दिया गया है, जो कि गलत है । अतः दावा डिक्री किया जावे । विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया है,जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांटस/वादीगण ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि बाहमी बंटवारे में हमारे हिस्से आई थी, परन्तु भू बंदोबस्त सम्वत 2042 में इस आराजी खसरा नम्बर 619 रकबा 27 एयर पर हमारे साथ साथ प्रतिवादीगण/असल रेस्पो0 का नाम भी दर्ज कर दिया गया, जो कि गलत है । साबिक रेकार्ड में आराजी शामलात की दर्ज है और हाल रेकार्ड में साबिक खसरा नम्बरान के जो हाल खसरा नम्बर बने हैं, उसमें से खसरा नम्बर 616, 617 व 618 में केवल रेस्पो0 का नाम दर्ज है, अपीलांट का नाम दर्ज नहीं है । इससे स्पष्ट है कि आराजी का पूर्व में ही बाहमी बंटवारा हो चुका था और उस बंटवारे में खसरा नम्बर 616, 617 एवं 618 रेस्पो0 के हिस्से में आये थे । अपीलांट के हिस्से में खसरा नम्बर 619 रकबा 27 एयर आया था, परन्तु गलत तौर पर इस नम्बर पर अपीलांट के साथ साथ रेस्पो0 का नाम भी दर्ज कर दिया गया, इस तथ्य की ओर विद्वान तहत न्यायालय ने कतई ध्यान नहीं दिया । प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में उपस्थित होकर अपने इकबाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

जवाब दावा में यह स्वीकार कर लिया था कि आराजी खसरा नम्बर 619 रकबा 27 एयर वादीगण के हिस्से में आया है, प्रतिवादीगण का नाम 3/4 हिस्से पर गलत दर्ज कर दिया गया है, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इकबाल जवाब दावा पर भी कतई ध्यान नहीं दिया । आदेश 15 नियम 1 एवं आदेश 12 नियम 6 सी0 पी0 सी0 में यह प्रावधान दिया गया है कि अगर वाद के तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है तो बिना साक्ष्य ही दावा डिक्री कर देना चाहिये । विद्वान तहत न्यायालय का निर्णय, वाद पत्र के आंशिक रूप से खारिज किये जाने की हद तक विधि विरूद्ध है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय वाद पत्र के आंशिक रूप से खारिज किये जाने की हद तक निरस्त किया जावे तथा वादीगण का शेष वाद डिक्री किया जावे ।

4. विद्वान वकील रेस्पो0 का बहस में अभिकथन है कि हमने तहत न्यायालय में इकबाल दावा पेश कर दिया था,जिसके अनुसार निर्णय पारित कर दिया जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस ने तहत न्यायालय में अपने वाद पत्र में 2 अनुतोष चाहे हैं । एक तो वादी संख्या 02 सन्तूलाल का नाम बसन्ती के स्थान पर सन्तूलाल दर्ज करवाने का तथा दूसरा अनुतोष विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 619 रकबा 27 एयर के 3/4 हिस्से पर से प्रतिवादीगण/असल रेस्पो0 का नाम कलमजन करवाकर उनके स्थान पर वादीगण/अपीलांटस का नाम दर्ज करवाने का । विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा वाद पत्र आंशिक रूप से डिक्री कर वादीगण/अपीलांटस का पहला अनुतोष, जो कि बसन्तीलाल के स्थान पर सन्तूलाल दर्ज कराने सम्बन्धी था, को तो स्वीकार कर लिया तथा शेष अनुतोष, जो कि खसरा नम्बर 619 से प्रतिवादीगण/असल रेस्पो0 का नाम कलमजन कराकर उसके स्थान पर वादीगण/अपीलांटस का नाम दर्ज कराने से सम्बन्धित है, को खारिज कर दिया, जिसकी यह अपील है । अपीलांटस का मुख्य तर्क यही है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 619 रकबा 27 एयर बाहमी बंटवारे में उनके हिस्से में आया था, परन्तु हाल बंदोबस्त सम्वत 2042 में इस आराजी के 3/4 हिस्से पर गलत रूप से प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया गया । इस सम्बन्ध में हमने पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । तहत पत्रावली में संलग्न खतौनी बंदोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत 2020 प्रदर्श–1 में खसरा नम्बर 165 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा पर हरदेव सिंह पुत्र खूबाराम 1/2, श्योताज सिंह पुत्र मानसिंह 1/4, लाला, बसन्ता पिसरान जीवनराम 1/4 कौम अहीर साकिन देह खातेदार का अंकन किया हुआ है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042 प्रदर्श–2 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 165 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा से हाल नम्बर 616 रकबा 36 एयर, 617 रकबा 10 एयर, 618 रकबा 10 एयर तथा 619 रकबा 27 एयर बनना पाये जाते हैं । हाल भू बंदोबस्त सम्वत 2042 प्रदर्श–3 में विवादित भूमि के 1/4 भाग पर वादीगण/अपीलांटस का तथा शेष भाग पर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का नाम दर्ज है । इसी प्रकार का इन्द्राज जमावन्दी सम्वत 2061–64 प्रदर्श–4 में अंकित है । जमाबन्दी सम्वत 2065–68 में भी जमावन्दी सम्वत 2061–64 प्रदर्श–4 के अनुसार ही इन्द्राज है । इस प्रकार राजस्व अभिलेखों के अनुसार वर्तमान अभिलेख में भू प्रबन्ध के पूर्व के अनुरूप ही इन्द्राज है । भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुरानी जमाबन्दी को ही रिपीट किया गया है, जो विधिसम्मत कार्यवाही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

है । बाहमी बंटवारे का जहां तक प्रश्न है, अपीलांटस/वादीगण द्वारा न तो ऐसा कोई दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था ।

6. उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत प्रतीत होता है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 1.8.2011 यथावत रखे जाते हैं ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(रामदेव सिंह)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारीः— रामदेव सिंह, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :— 01/2012 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :— 1. लालाराम पुत्र जीवनराम जाति यादव
2. सन्तलाल पुत्र जीवनराम जाति यादव निवासीयान ग्राम दौलतसिंहपुरा तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:—— अपीलांट

बनाम

1. श्योराम पुत्र हरदेव जाति यादव
2. मोहरसिंह पुत्र श्रीराम जाति यादव (मृतक)
2/1. चंचल पुत्र मोहरसिंह
2/2. लाली सै मोहरसिंह निवासीयान ग्राम दौलतसिंहपुरा तह0 बहरोड जिला अलवर ।
2/3. रमेश पुत्री मोहरसिंह पत्नि बाबूलाल जाति यादव
2/4. माया पुत्री मोहरसिंह पत्नि लालाराम जाति यादव निवासीयान ग्राम गूंती तहसील बहरोड जिला अलवर ।
3. कैलाश पुत्र श्रीराम जाति यादव
4. धर्मपाल पुत्र श्रीराम जाति यादव
5. बलवन्त दत्तक पुत्र श्योताज जाति यादव निवासीयान ग्राम दौलतसिंहपुरा तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:—— रेस्पो0

6. तहसीलदार बहरोड बहैसियत लैण्ड होल्डर

:— फोरमल रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर,
बहरोड दिनांक 01.08.2011

उपस्थित :–

1. वकील अपीलांटस :– श्री गोविन्दराम यादव
2. वकील रेस्पो0 :– श्री अजीतसिंह यादव

पर्चा डिक्री दिनांक 2.6.2016

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 1.8.2011 यथावत रखे जाते हैं ।

(रामदेव सिंह)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner